

Fax/Reg

पत्रांक- 14/14/सी-12-50/2014-1645/1646 ✓
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

शिवेश रंजन,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना दिनांक...16/12/2014


विषय:- श्री निरंज कुमार, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद के 178 वॉ सत्र में पुछा जाने वाल तारांकित प्रश्न संख्या ई-33 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री निरंज कुमार, माननीय स०वि०प० परिषद के 178 वॉ सत्र में पुछा तारांकित प्रश्न संख्या ई-33 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त प्रश्न का उत्तर सामग्री यथा वांछित पूरक सामग्री के साथ फैंक्स/विशेष दूत के माध्यम से विभाग को यथाशीघ्र ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(शिवेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
(उच्च शिक्षा)

बिहार विधान परिषद् के 178 वें सत्र के लिए श्री नीरज कुमार, स0वि0प0 से तारकित प्रश्न प्राप्त ।

ई0-33

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क

क्या यह सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों से विभिन्न पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्राप्तांक एवं प्रमाणपत्र की मूल प्रति दी जाती है ?

ख

क्या यह सही है कि विद्यार्थियों को प्राप्तांक एवं मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में समय सीमा का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है ?

ग

यदि उपर्युक्त खंड "क" एवं "ख" के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यार्थियों को ससमय प्राप्तांक एवं मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु इस प्रक्रिया को लोक सेवा कानून के दायरे में लाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक ?